HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2838/2019

The New India Assurance Co. Ltd., T.p. Claim Hub, Divisional Office, Abhay Chambers, Jalori Gate, Jodhpur Through Its Authorized Representative.

----Appellant

Versus

1. The Superintendent Of Police, Police Line, Rajsamand.
2. Ramesh Kharadi S/o Raman Bhai Kharadi, R/o Village Baghpura, Ps Samlaji, District Urvali, Gujarat. (Driver)
3. Smt. Gena Jubedaden W/o Ibrahim Bhai, R/o House No. 10, Anjuman Society, Modasa, District Urvali, Gujarat
4. Sikand Bhai S/o Ibrahim Bhai, R/o House No. 10, Anjuman Society, Modasa, District Urvali, Gujarat. (Gpa Holder)

----Respondents

For Appellant(s) : श्री जगदीश चन्द्र व्यास।

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY CHATURVEDI

Order

22/01/2020

सुना गया।

अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। प्रत्यर्थीगण को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जाये।

स्थगन याचिका पर सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिस वाहन के संबंध में क्लेम पिटिशन पेश की गई है वह वाहन वर्ष 2013 में जांच एवं गस्त हेतु खरीदा गया तथा उसकी कीमत वर्ष 2013 में 5,42000/– रूपये थी। चार वर्ष के बाद उसकी कीमत काफी कम हो गई, किन्तु अधिकरण द्वारा कोटेशन दिनांक 24.05.2017 जिसमें बालेरो वाहन की कीमत 6,93800/– होना बताई गई है, को आधार मानकर अवार्ड पारित किया गया है, जो अत्यधिक है।

प्रत्यर्थीगण को स्थगन याचिका के नोटिस चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किये जाये। तब तक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजसमन्द द्वारा मोटर दुर्घटना दावा संख्या 333/2017 में पारित अवार्ड दिनांक 03.06.2019 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। बशर्त कि अपीलार्थी पूर्व में जमा करवाई गई राशि को समायोजित करते हुए कुल 3,50,000/– रूपये प्राधिकरण के समक्ष एक माह के भीतर जमा करवाये।

नोटिस दिनाँक 24.02.2020 तक वापसी योग्य जारी किये जाये।

अधिकरण से अभिलेख तलब किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही करने के पश्चात अभिलेख प्रेषित किया जावे। पत्रावली दिनाँक 24.02.2020 को सचूीबद्ध की जाये।

(ABHAY CHATURVEDI),J

28-sn/-

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते